झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

उद्देश्यः-

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों की लड़कियों के विवाह सम्पन्न कराने के लिए अनुदान देने की एक योजना है। यह योजना झारखण्ड राज्य के सभी प्रखण्डों में संचालित है।

कार्यः-

इस योजनान्तर्गत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों से विवाह योग्य कन्या के विवाह हेतु राजकीय अंशदान के लिए विहितप्रपत्र-आँगनबाड़ी सेविकायों के माध्यम से आवेदन पत्र आंमत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र पर कन्या के माता एवं पिता द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना है। आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ लिया जाता है, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाया जाना है तथा दूसरा फोटो संघारित की जाने वाली पंजी में, जिसपर विवाह करनेवाले युवकों का हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान होगा, चिपकाया जाना है। गठित समिति द्वारा सूक्ष्मता से आवेदन पत्र की जाँच की जानी है। स्वीकृति हेतु आवेदनों के प्रेषण के पूर्व वयस्क होने के सम्बंध में, पूर्व में विवाह नहीं होने के सम्बंध में, एवं दूसरी शादी नहीं होने के सम्बंध में शपथ पत्र लेना है।

कार्यान्वयनः-

अनुदान पर आधारित इस योजना का कार्यान्वयन बाल विकास परियोजना एंव बैंकों द्वारा किया जाता है।

लाभान्वितः-

राज्य में गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले परिवारों के विवाह योग्य कन्या इस योजना में लाभान्वित होंगे। इसके अन्तर्गत विवाह सम्पन्न कराकर 10,000/- (दस हजार) की राशि निर्धारित की गई है जो चेक के माध्यम से लाभान्वितों को दी जाती है।

चयन की प्रक्रिया :-

बाल विकास परियोजनाओं द्वारा आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। जिसमें विहित प्रपत्र पूर्ण रूप से संधारित रहेंगे। माता एवं पिता द्वारा यह घोषणा कि इस योजना से हम लाभान्वित होने हेतु

सुपात्र है, कन्या के विवाह में किसी प्रकार के दहेज का लेन-देन नहीं किया जायेगा, उपायुक्त द्वारा निर्धारित पवित्र स्थान पर सामुहिक या एकल विवाह कराने में हमारी सहमति है, आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है एवं किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है एवं किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर मैं इस पात्रता से वंचित किया जा सकूँगा तथा राशि की वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी पात्र होऊँगा हस्ताक्षरित रहेगा। इससे सम्बंधित पंजी संघारित रहेगी जिसमें युवकों का हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान होगा। आवेदन पत्र की जाँच गठित समिति द्वारा सूक्ष्मता से की जायेगी जिसमें शपथ पत्र सम्मिलित रहेगा।

आवेदन पत्र :-

आवेदन पत्र दो प्रतियों में समर्पित किये जाने हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने परिवारों से विवाह योग्य कन्या के विवाह हेतु राजकीय अंशदान के लिए-विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है।

आवेदन का प्रपत्र

1. कन्या का नामः..
2. पिता का नाम :..
3. माता का नाम :-..
4. आवेदक/आवेदिका का नामः..
5. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नामः-...
6. कन्या के साथ आवेदक का संबंधः- ....
7. कन्या का आवासीय पताः- ....
8. कन्या की जन्म तिथि एवं उम्र :............ वर्ष .... माह .... दिन ....
9. कन्या की शैक्षणिक योग्यता :-...
10. क्या कन्या विकलांग है :- ....
11. क्या कन्या विधवा की पुत्री है :- ....
12. जाति, धर्म एवं राष्ट्रीयता :..
13. कन्या के माता/पिता के सभी स्त्रतों से वार्षिक आय :-...........................
14. कन्या के परिवार का गरीबी रेखा का क्रमांक :-.....................................
15. कन्या के होने वाले पति की विवरणी :-..

(क) नाम :-..

(ख) पिता का नाम :-..
(ग) जन्म तिथि एवं उम्र :............ वर्ष .... माह .... दिन ....
(घ) जाति, एवं धर्म :-...
(ड़) पता :- ....
(च) शैक्षणिक योग्यता :- ....
(छ) व्यवसाय :- ....
(ज) वार्षिक आय :- ....

घोषणा (माता एवं पिता द्वारा)

हम कन्या के पिता और माता संयुक्त रूप से घोषणा करते हैं कि-

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से हम लाभान्वित होने हेतु सुपात्र है।
2. कन्या के विवाह में किसी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं किया जायेगा।
3. कन्यादान योजना से प्राप्त राशि का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा।
4. उपायुक्त द्वारा निर्धारित पवित्र स्थान पर सामूहिक या एकल विवाह कराने में हमारी सहमति है।
5. आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है एवं किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।
6. किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर मैं इस पात्रता से वंचित किया जा सकूँगा तथा राशि की वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी पात्र होऊँगा।

तिथि :- .... **माता - पिता का हस्ताक्षर**

आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लिया जाना है। जिसमें से एक फोटो आवेदन पर चिपकाया जायेगा तथा दूसरा फोटो संधारित की जाने वाली पंजी में, जिसपर विवाह करनेवाले युवकों का हस्ताक्षर अथवा अँगुठे का निशान होगा, चिपकाया जायेगा।

आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

आवेदन पत्र की जाँचः- उक्त क्रम में आवेदन पत्रों की सघन जाँच प्रखण्ड स्तर पर निम्न प्रकार समिति करेगाः-

1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
3. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

उपर्युक्त गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्मता से जाँच करेगी। समिति आवश्यकतानुसार आवेदक के उम्र आदि की जाँच हेतु साक्षात्कार शिविर का आयोजन कर सकती है।

जाँचोपरान्त सुयोग्य लाभुकों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र संलग्न करते हुए प्रस्ताव निम्नांकित प्रपत्र में समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से अंकित कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है।

प्रपत्र क्र0	कन्या का नाम पिता का नाम एवं पता	कन्या की उम्र	पंचायत	ग्राम	जाति	बी0पी0 एल0नं0	वर का नाम पिता का नाम एवं पता	वर की उम्र	पंचायत	ग्राम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

स्वीकृति हेतु आवेदकों के प्रेषण के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र लिया जाय।

1. वयस्क् होने के संबंध में
2. पूर्व में विवाह नहीं होने के संबंध में
3. दूसरी शादी नहीं होने के संबंध में।

विवाह के समय वर-वधू का फोटोग्राफ भी प्राप्त कर पंजी मे संधारित किया जायेगा।